कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/07/2024

श्री भँवर लाल टांक पुत्र श्री जगन्नाथ खटीक निवासी ग्राम डूंगरी, पोस्ट हिंगोनिया तहसील जोबनेर, जिला जयपुर पिन 303328 मो.नं. 9413356860

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 21-02.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील जरिये सम्पर्क पोर्टल परिवाद क्रमांक 112312717588020, 112312717566009, 122304317885382 (तीनों परिवाद एक ही विषय से सम्बन्धित) अपीलार्थी श्री भंवर लाल टांक पुत्र श्री जगन्नाथ खटीक निवासी ग्राम डूंगरी पोस्ट हिंगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/24/83 दिनांक 13.02.2024 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर के पत्रांक राजस्व/आर.टी.आई./12/12( ) 2024/948 दिनांक 21.02.2024 से जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

2....

जिला कलक्टर
भरतपुर

आरटीआई / अपील / 2024 / 07
भॅवर लाल टांक बनाम अति0 जिला कलक्टर एवं प्र.अ.राजस्व अनुभाग

पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था, RTI Portel पर ऑनलाईन फीस जमा कराने का option होने के बाद भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा ऑफलाईन पत्र के जरिये सूचना के प्रति पेज 2 रू. के हिसाब से कुल राशि 4 रू. जमा करवाने के निर्देश दिये है।

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक राजस्व / आर.टी.आई. / 12 / 12( ) 2024 / 948 दिनांक 21.02.2024 के साथ संलग्न किये गये पत्रांक राजस्व / आरटीआई / 12 / 12( ) 2023 / 6907 दिनांक 20.10.2023 से वांछित सूचना के सन्दर्भ में प्रार्थी को लिखा गया है कि:–

> ....''आपके द्वारा अपने भूमि आवंटन से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र बाबत् ऑनलाईन सूचना चाही गयी है। वांछित सूचना के सन्दर्भ में लेख है कि आपका भूमि आवंटन से सम्बन्धित आवेदन / प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में 11.08.2023 को प्राप्त हुआ था। उक्त प्राप्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुये मूल ही पृष्ठांकित करते हुये समस्त उपखड अधिकारियों को इस कार्यालय के पत्रांक 6154 दिनांक 18.08.2023 से भिजवा दिया गया है। फिर भी यदि आपके उक्त पृष्ठांकित पत्र की प्रति की आवश्यकता हो तो 2/– रू. प्रति पृष्ठ की दर से कुल 4/– रू. जमा राजकोष करावें अथवा राशि रू. 4/– का पोस्टल आर्डर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि तदनुसार आपको सूचना उपलब्ध करायी जा सके।''

लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि उक्तानुसार जबाव तत्समय ही RTI Portel पर भी अपलोड कर दिया गया था।

उक्तानुसार प्राप्त जबाव एवं पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी ने नियमानुसार निर्धारित राशि राजकोष में जमा कर सूचना प्राप्त किये जाने हेतु प्रार्थी को नियत समय में ही जरिये पत्र सूचना दी जा चुकी है और जबाव

3....

जिला कलक्टर
भरतपुर

आरटीआई/अपील/2024/07
भँवर लाल टांक बनाम अति0 जिला कलक्टर एवं प्र.अ.राजस्व अनुभाग

तत्समय ही RTI Portel पर भी अपलोड कर दिया गया था। अपीलान्ट का अपील में यह कथन करना कि RTI Portel पर फीस जमा कराने का Option होने पर भी ऑफलाईन सूचित किया गया है ऑनलाईन नहीं, स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि नियमानुसार राशि राजकोष में जमा कर सूचना प्राप्त की जा सकती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना से सम्बन्धित राशि राजकोष में जमा कराये जाने के उपरान्त तत्काल सूचना उपलब्ध करावें। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर